गौतम बुद्ध प्राविधिक विश्वविद्यालय

(पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय)

पत्रांकः गौ0बु0प्रा0वि0/कुस0का0/एके0/2010/24256-24849 दिनांकः 18 अगस्त, 2010

सेवा में,

निदेशक/प्राचार्य,
प्राविधिक विश्वविद्यालय से सम्बद्ध
समस्त अभियंत्रण एवं व्यावसायिक संस्थाएं ।

विषयः निर्धारित शिक्षण शुल्क से अधिक शिक्षण शुल्क लिये जाने के संबन्ध में ।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक विश्वविद्यालय के पत्र सं0 जी0बी0टी0यू0/कुस0का0/एके0/2010/16277-16870, दिनांक 15.7.2010 तथा पत्र सं0 गौ0बु0प्रा0वि0/कुस0का0/एके0/2010/19172-19765 दिनांक 31 जूलाई 2010 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें ।

इस संबंध में मुझे यह कहने की अपेक्षा है कि विश्वविद्यालय के उक्त पत्रों द्वारा यह निर्देशित किया गया था कि आपकी संस्था में अध्ययनरत द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ वर्ष के छात्रों से प्रवेश के वर्ष में प्रभावी शिक्षण शुल्क लिया जाना है । प्रवेश और फीस नियमन समिति द्वारा वर्ष 2010-11 के लिये संस्थाओं की विभिन्न पाठ्यक्रमों का शिक्षण शुल्क निर्धारित किया गया है, वह शिक्षण शुल्क वर्ष 2010-11 में नव प्रवेशित छात्रों से ही लिया जाएगा । उक्त की सूचना के साथ संस्था स्तर पर तदनुसार कार्यवाही करने हेतु अपेक्षा की गई थी।

इस संबंध में यह अवगत कराना है कि अधिकांश संस्थाओं के छात्र एवं अभिभावक विश्वविद्यालय में आकर यह शिकायत कर रहे है कि संस्थाओं में द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ

आई0ई0टी0 परिसर, सीतापुर रोड, लखनऊ, फोन-2732193, फैक्स-2732185

वर्ष में अध्ययनरत छात्रों से प्रवेश के वर्ष में ली गई शिक्षण शुल्क से अधिक शुल्क लिया जा रहा है। यह अत्यंत गम्भीर प्रकरण है। अतः उक्त के परिपेक्ष्य में सभी संस्थाओं को पुनः निर्देशित किये जाने की अपेक्षा है कि अपने संस्थान में द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ वर्ष में अध्ययनरत छात्रों से उनके प्रवेश के वर्ष में प्रभावी शिक्षण शुल्क ही लिया जाए, उससे अधिक शुल्क कदापि न लिया जाए । प्रवेश और फीस नियमन शुल्क निर्धारण समिति द्वारा वर्ष 2010-11 हेतु संस्थाओं की विभिन्न पाठ्यक्रमों की शिक्षण शुल्क निर्धारित किया गया है, वह केवल सत्र 2010-11 में नव प्रवेशित छात्रों से ही लिया जाना सुनिश्चित करें । यदि किसी संस्था द्वारा संस्था में अध्ययनरत द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ वर्ष के छात्रों से प्रवेश के वर्ष में प्रभावी शिक्षण शुल्क से अधिक शुल्क लिया जाता है, तो वह वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी और विश्वविद्यालय, संस्था/प्रबन्धतंत्र के विरुद्ध कठोर कार्यवाही के लिये बाध्य होगा । उक्त की सूचना के साथ अपेक्षा है कि कृपया संस्था स्तर पर तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराएं ।

भवदीय,

(यू0एस0 तोमर)
कुलसचिव

पृष्ठांकन सं0 व दिनांक-उपरोक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, महामहिम कुलाधिपति/श्री राज्यपाल, उ0प्र0, महामहिम सचिवालय, लखनऊ ।
2. प्रमुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ ।
3. वित्त अधिकारी, जी0बी0टी0यू0, लखनऊ ।
4. परीक्षा नियत्रंक, जी0बी0टी0यू0, लखनऊ ।
5. स्टाफ आफिसर, कुलपति कार्यालय, जी0बी0टी0यू0, लखनऊ ।

(यू0एस0 तोमर)
कुलसचिव

आई0ई0टी0 परिसर, सीतापुर रोड, लखनऊ, फोन-2732193, फैक्स-2732185